कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

संख्या:—एम0ई0—3 / यू0जी0—2020 / 530

दिनांक:— 03.03.2021

आवश्यक सूचना

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो मे संचालित एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 6.11.2020 के द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का संकलित विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, जिसके आधार पर अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करते हुए संबंधित कालेज के निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। यू0पी0 नीट यू0जी0 2020 के अन्तर्गत सम्पन्न प्रथम, द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग एवं मॉप–अप राउण्ड के पश्चात् निजी क्षेत्र के निम्नांकित मेडिकल कालेजो द्वारा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06.11.2020 को चुनौती देते हुए मा0 अपीलीय प्राधिकरण, लखनऊ के समक्ष अपील दायर की गयी है, जो मा0 अपीलीय प्राधिकरण के विचाराधीन है:—

क्र0सं0	कालेज का नाम	अपील संख्या
1	जी0एस0 मेडिकल कालेज, हापुड़	निल / 2020
2	हिन्द मेडिकल कालेज, बाराबंकी	15 / 2020
3	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ	16 / 2020
4	हिन्द मेडिकल कालेज, सीतापुर	17 / 2020
5	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	18 / 2020
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, हापुड	19 / 2020
7	के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरु	20 / 2020
8	हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	21 / 2020
9	स्कूल आफ मेडिकल साइन्सेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	22 / 2020
10	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी	निल / 2020

अतः शैक्षणिक सत्र 2020—21 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के उक्त मेडिकल कालेजो मे आवंटित / प्रवेशित अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि शुल्क निर्धारण मा0 फीस नियमन समिति द्वारा पारित होने वाले अन्तिम आदेशो / निर्णय के अधीन होगा।

महानिदेशक।